कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की कक्षाओं में प्रवेश के नियम

(सत्र 2017–2018 से प्रभावी)

अध्याय–1: साधारण नियम–

1–1: विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में प्रत्येक महाविद्यालय एवं परिसर के लिये सीटों की संख्या पूर्व वर्ष की भॉति रहेगी।

1–2: विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा ।

1–3: प्रत्येक अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा On Line माध्यम से आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की Hard Copy के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–क में उल्लिखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(क) **छात्र द्वारा शपथ–पत्र**

(1) मैं शपथ पूर्व प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी। मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य हूंगा/हूंगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नही करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
उसी महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा–

(ख) **<u>पिता अथवा अभिभावक की घोषणा–</u>**

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ——————————————

जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्धारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

1–4: Deleted *

1–5: कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक $I=(X+2Y+2Z)$ के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम् 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक स्थानों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा । स्थान रिक्त रह जाने पर प्रवेश दिया जा सकता है। कुमाऊँ परिक्षेत्र के मूल निवासी जिन्होंने कुमाऊँ परिक्षेत्र में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों अथवा राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, उनको योग्यताक्रम में आने पर अधिकतम् 5 प्रतिशत स्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे बी0ए0, बी0कॉ0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि 40 के स्थान 50 प्रतिशत तथा बी0एस–सी0 में 45 के 55 प्रतिशत) प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा। निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

1–6: किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1–7: (क)जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

***** As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

1–7: (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

1–7: (ग)यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

1–7: (घ)किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–8: सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1–9: किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता अथवा अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1–10: किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र जमा न किया हो।

1–11: ऐसे विद्यार्थी को जिसने नियमित प्रवेश लिया हो परन्तु बीमारी के कारण या अन्य किसी पुष्ट कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश नियमावली के अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने की दशा में केवल एक बार पुनः उसी सेमेस्टर, विषय, संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

1–12: वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत् प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व प्रति प्रायोगिक विषय रु0 100/– मात्र शुल्क जमा करने के बाद ही दी जा सकती है।

1–13: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तरांचल शाासन के पत्रांक–1144/कार्मिक– 2–2001–53 (1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले छः माह से पूर्व का न हो)

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	02 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	03 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का हॉरिजन्टल आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यताक्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।

1–14: मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देर्शो के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया ।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1–15: कुमाऊँ विश्वविद्यालय/सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/ पति/ पत्नी/सगा भाई बहन को प्रत्येक कक्षा/विषय में अधिकतम पूर्णांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ प्रवेश हेतु दिया जाएगा। यह लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को ही प्रवेश हेतु देय होगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

1–16: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांच्छित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1,जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी –	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर –	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन –	20 अंक
(ड)	विश्वविद्यालय की फस्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी –	20 अंक
(च)	शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो ।	25 अंक
(छ)	राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तरविश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर,	25 अंक

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद–विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो–

अथवा

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर– 50 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नही जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–17: यदि किसी छात्र/छात्रा ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर On Line प्रवेश आवेदन प्रपत्र में विषय/संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय/महाविद्यालय के लिए परिवर्तन, सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा छात्र/छात्रा के अर्ह होने की दशा में, प्रवेश प्रक्रिया की अन्तिम तिथि के 15 दिन के भीतर किया जा सकता है । उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में विषय/संकाय/महाविद्यालय का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

1–18: प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्नातक में प्रवेश की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (8सेमेस्टर) कुल 9 वर्ष का अध्ययनकाल (18 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी। एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1–19: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नही दिया जाएगा।विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा ।

1–20: Deleted *

1–21: एक सत्र् में स्नातक/स्नातकोत्तर(सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही अवधि मान्य होगी । यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा ।

1–22: प्रत्येक छात्र हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा पॉच प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

1–23: The candidates for the under graduate programs will have to choose the subject combinations as per the groups provided below:

(a). B. Sc.: A student has to opt three groups out of four as given below. Student has to opt only one subject from the selected groups.

* As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

Group A	Group B	Group C	Group D
1. Mathematics	1. Physics	1. Chemistry	1. Geology
2. Botany	2. Zoology	2. Computer Science	2. Statistics
		3. Economics	3. Forestry
		4. Information Technology	
		5. Geography	
		6. Military Science	

Note: Besides this there will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.

**The candidate will have to follow permissible subject combinations mentioned in the University Prospectus.

(b).B.A.: A student has to opt three groups out of seven as given below. Student has to opt only one subject from the selected groups.

Group-A	**Group-B**	**Group-C**	**Group-D**	**Group-E**	**Group-F**	**Group G**
1. English Lit. 2.Sanskrit 3.Military Science 4.Kumauni Bhasha	1.Economics 2.Psychology 3.Drawing & Painting 4.Education	1.History 2. Math's 3.Music	1.Geography 2.Home Science	1. Pol. Science 2.Statistics	1.Hindi Lit. 2.Physical Education	1. Comp. Science 2. IT 3.Sociology

Note:

- There will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.
- One compulsory subject of Language (Hindi or Sanskrit or English) in 1 & II Semester.
- The candidate can opt only two Literature Subjects all together.

(c). B. Com.: A student has to study four paper in each semester.

Note: there will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2017–2018)

अध्याय–2: कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1: स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

2–1 (क)कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

(1)कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण ।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
(2)विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
(3)वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4)अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(5)स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण करते समय कुमाऊँ क्षेत्र के किसी विद्यालय से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम् अर्हता रखने वाले छात्रों को 50 अंकों का लाभ देय होगा तथा शेष उत्तराखण्ड क्षेत्र के विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम् अर्हता रखने वाले छात्रों को 25 अंकों का लाभ देय होगा।

2–1 (ख)यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है

2.2: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर एवं उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एड0 एवं एम0 एड0 कक्षा में प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किये जायेंगे। पर्यटन डिप्लोमा, कम्प्यूटर डिप्लोमा, बी0फार्मा, बायो–टैक्नोलोजी, ई–कामर्स, बी0बी0ए, बी0सी0ए, बीएचएमसीटी,बी0एस–सी0(आई0टी0),बी0एस–सी0(आईएससी),बी0एस–सी0 (एसएस),एम0 एस–सी0(आईटी) एम0 एस–सी0 (आईएससी), एम0सी0एस, बी0ई0 काम0, बी0लिब0

एस–सी0, पी0जी0डी0आई0एस, पी0जी0डी0सी0ए0 एण्ड ओ0एम0 में प्रवेश लिखित परीक्षाओं के आधार पर किये जायेगें। लिखित परीक्षाओं की विषय वस्तु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

2.3: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांच्छित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय की Equivalence Committee द्वारा प्रदान की गयी हो ।

2.4: Deleted *

2.5: Deleted *

2.6: शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।

2.7: Deleted *

2.8: परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा ।

2.9: स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम –

Calculation of index for P.G. I Semester. Admission.(Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to **P.G. I Semester** class:

I= x+2y+2z
I= Merit Index
X= Marks obtained in practicals at U.G. level
Y= Marks obtained in theory at U.G. level

(This would include all the subjects taken at U.G. level)

Z= Total marks obtained in theory at U.G.. level in the subject in which admission is requested at P.G. Semester class

(Admission would be given to P.G. Semester -I. Only in one of the subjects taken at the U.G. level)

* As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

केवल मान्यता प्राप्त एन0आई0ओ0एस0(National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पॉच विषयों का चयन करना होगा।

2–10: कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, को भी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा ।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही छात्र अर्ह होंगें जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो ।

(3) एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा एण्ड टूरिज्म कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथ्यर्थी प्रवेश प्रवेश परीक्षा (यदि आवश्यक हो) द्वारा निर्धारित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश के लिए अर्ह माने जायेंगे।

कुलसचिव,
कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अध्याय–3

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

3–1: एल–एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर/एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को वर्तमान शासनादेश के अनुरूप प्रवेश में आरक्षण अनुमन्य होगा।

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 26–5–2014 के अनुपालन में एल–एल0बी0(त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंकों पर प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3–2: विधि संकाय के एल–एल0बी0 द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठ सेमेस्टर एवं एल–एल0 एम0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश संकायाध्यक्ष द्वारा विधि विभाग की विभागीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर किये जाएंगे।

3–3: एल–एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों की अधिकतम् संख्या 150 (जिसमें 100 स्थानों पर आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी तथा शेष 50 स्थान स्वःवित्त पोषित आधार पर योग्यता क्रमानुसार भरे जायेगें) तथा एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों की अधिकतम् संख्या 10 होगी।

3–4: विधि विभाग में यदि कोई प्रावधान बार काउन्सिल आफ इण्डिया (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित नियमों के विरूद्ध अथवा असंगत हो तो बार–काउन्सिल द्वारा निर्धारित नियम ही मान्य होंगे।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।